टीडीएस नियम होंगे अब और अधिक सरल

नई कर संहिता से करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत

कोलकाता, 9 जुलाई (नि.प्र.)। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई आयकर संहिता के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से जुड़े नियमों को सरल और सहज बनाया जा रहा है, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन की प्रक्रिया आसान होगी। यह जानकारी आयकर विभाग (कोलकाता जोन) के मुख्य आयुक्त श्री मयंक प्रियदर्शी (आईआरएस) ने आज कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दी। श्री प्रियदर्शी ने बताया कि टीडीएस से संबंधित नियमों की शब्द संख्या 14,000 से घटाकर 7,000 कर दी गई है, जिससे कानून को समझना और उसका पालन करना कहीं अधिक सुगम हो जाएगा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार करदाताओं के हित में आयकर ढांचे और दरों में बदलाव किया गया है, उसी प्रकार टीडीएस दरों को भी संशोधित और सरल किया गया है। कई मामलों में टीडीएस की दर 1% से घटाकर मात्र 0.1% कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में टीडीएस के अंतर्गत आने वाले लेनदेन की

संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे वैध लेनदेन को बढ़ावा मिला है। साथ ही उन्होंने माना कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद कागजी दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने में कुछ जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे कई बार निष्पक्ष कर निर्धारण में दिक्कत आती है। मुख्य आयुक्त ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी उत्पाद की खरीद पर छूट दी जाती है, तो उसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत 'कमीशन' माना जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति करदाताओं और कर संग्रहकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ा सकती है। हालांकि, उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि आयकर विभाग निष्पक्ष समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में आयकर विभाग (कोलकाता जोन) के आयुक्तता डॉ. रघुवीर मदनप्पा, कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष माधव सुरेखा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत साहारिया, उपाध्यक्ष अनुराग झुनझुनवाला, और वरिष्ठ कार्यकारी समिति सदस्य रजत अग्रवाल उपस्थित थे।